नम्बर व तारीख इस हुक्म की तामील हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.25	पत्रावली पेश हुई।	

उभयपक्षकान के अधिवक्ता उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 1/3,1/4,1/6/1 से 9 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते एकतरफा कार्यवाही मन्सुख करने बाबत व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शमिल मिसल रहे।

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि विप्रार्थी अधिवक्ता पेशी तारीख 03.11.2025 को अति आवश्यक कार्यवश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में उपस्थित होने के कारण श्री न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाये लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी का जवाब रेकर्ड पर लिया जावे।

हमने विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी घ पत्रावली का अवलोकन किया । पेशी तारीख 03.11.2025 को विप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद नहीं किया गया है ऐसी स्थिति मे विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते एकतरफा कार्यवाही मन्सुख खारिज किया जाता है विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को रेकर्ड पर लिया जाता है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि सरहद मौजा बामसीन तहसील समदडी के खसरा संख्या 967/218 व 969/218 कुल रकबा 0.10 बीस्वा भूमि का घोषणा का वाद माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में अनवान संख्या 455/2018 अनवान खंगाराराम बना नेतीराम विचाराधीन है जिसमें राजस्व रेकर्ड एव मौके [illegible]ति बनाये रखे जाने का स्थगन आदेश प्रार्थी है प्रार्थी ने विवादि[illegible] के पडोसी खातेदार खसरा संख्या 968/218 210/211 965/216 व 970/218 को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। विवादित भूमि विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त व पुश्तैनी स्वत्व की भूमि है जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:14:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील हुए
	सीमाज्ञान के बहाने प्रार्थी को हासिल करने को कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त ही नहीं है न ही कोई हक व स्वत्व है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।	
	प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थी ने जवाब में जिस प्रकरण का उल्लेख किय है वह न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत पेश किया गया है जबकि उक्त प्रकरण राजस्थान भू राजस्व की धारा 111,128 के तहत माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना में विचाराधीन है, राजस्थान भू राजस्व के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण का सुनवाई का क्षेत्राधिकारी व श्रवणधिकार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त दोनो प्रकरण अलग–अलग प्रवृत्ति का है, प्रार्थी विवादित भूमि का टिनेन्ट खातेदार होने के नाते विवादित भूमि का नेखमबंदी करवाना चाहता है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी करने का आदेश फरमाया जावे।	
	हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया गया। विप्रार्थीगण द्वारा जवाब में विवादित भूमि से सम्बन्धित वाद न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत विचाराधीन होने का कथन किया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व की धारा 111, 128 के तहत पेश किया है, दोनो की प्रकरणों की प्राकृतिक अलग–अलग है, दोनो प्रकरणों अलग–अलग न्यायालय में विचाराधीन में है दोनो प्रकरणो की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणधिकार भी अलग–अलग न्यायालय [illegible] प्रार्थी विवादित भूमि का रेकर्डेड खा[illegible] खाते [illegible] भूमि का ही नेखमबंदी करवाना चा[illegible] है, उक्त प्रार्थना [illegible] की प्राकति केवल विवादित भूमि की नेखमबंदी की है,उक्त प्रक[illegible] का निस्तारण किये जाने से किसी के अधिकार, हक व कब्जा काश्त पर कोई प्रतिकूल	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:14:15 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रभाव नहीं पडेगा, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बामसीन के खसरा संख्या 969/218 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 967/218 रकबा 0.05 बीघा भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:14:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 2418 दिनांक : 14.11.2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
खीमसिंह पुत्र गंगासिंह		खंगाराराम पुत्र चतराराम के कायम मुकाम वगैराह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 43 / 2019 दिनांक :– 14-11-2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम बामसीन तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 969 / 218 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 967 / 218 रकबा 0.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस रूपये 2000 /–प्रार्थी अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाद / 2022 / 2419- 2422 दिनांक : 14.11.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी बामसीन तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी श्री खीमसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपुरोहित निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:14:15 IST
Reason: SelfAttested